न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 2059–दो/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 25–03–2013 पारित तहसीलदार, तहसील राजनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 04/अ–70/12–13.

1– हरिसिंह पुत्र हल्के यादव
2– मना तनय मुन्नी कुर्मी
3– किलकोटी तनय नन्दी अहिरवार
समस्त निवासी ग्राम बेनीगंज, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

---- आवेदकगण

विरूध्द

1– हरप्रसाद तनय रामकिशुन कुर्मी
निवासी निवासी ग्राम बेनीगंज, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0
2– मध्यप्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री अनिल गुप्ता, अभिभाषक– अनावदेक–1
श्रीमती नीना पाण्डे, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–2

आदेश

(आज दिनांक 1-5- 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार,

तहसील राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 04/अ–70/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 25–03–2013 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार अनावेदक हरप्रसाद ने संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया कि तहसीलदार, चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 64/अ–12/2012–13 आदेश दिनांक 11–12–12 व्दारा मौके पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन किया गया और सीमांकन उपरान्त भूमि का कब्जा आवेदक को वापिस दिया गया जिस पर अनावेदकगण/आवेदकगण हरिसिंह आदि ने पुनः कब्जा कर लिया गया है। तहसील न्यायालय व्दारा प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तहसीलदार के समक्ष हरप्रसाद व्दारा इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक हरप्रसाद व्दारा बोई गई फसल खड़ी है जिसे अनावेदकगण/आवेदकगण हरिसिंह आदि जबरन काटने पर आमादा है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर खड़ी फसल पुलिस बल की अभिरक्षा में कटवाकर प्रकरण के निराकरण तक न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने के आदेश दिये जाये। तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 25–3–13 व्दारा आवेदन स्वीकार कर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को मौके पर पुलिस बल लेकर ग्राम के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को फसल सुपुर्दगी में देने तथा प्रकरण के निराकरण उपरान्त सुपुर्दगीकर्त्ता व्दारा उपज न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि की

खड़ी फसल कटवाकर सुपुर्दगी में देने की अधिकारिता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदकगण को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक क0–1 के अभिभाषक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क0–1 के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिस पर उसके व्दारा फस बोई गयी है। आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि पर खड़ी फसल को जबरन काटना चाहते थे तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा थे, इस कारण तहसीलदार व्दारा प्रश्नाधीन भूमि पर खड़ी फसल सुपुर्दगी में देने में कोई त्रुटि नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक हरप्रसाद के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिस पर आवेदकगण का अवैध कब्जा होने से तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन है। हरप्रसाद ने संहिता की धारा 250 के आवेदनपत्र में यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार, चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 64/अ–12/2012–13 आदेश दिनांक 11–12–12 व्दारा मौके पर हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक व्दारा सीमांकन किया गया और सीमांकन उपरान्त भूमि का कब्जा आवेदक को वापिस दिया गया जिस पर अनावेदकगण/आवेदकगण हरिसिंह आदि ने पुनः कब्जा कर लिया गया है। संहिता की धारा 250 की उपधारा (3) में यह प्रावधान है कि कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के पूर्व के छह माह के भीतर विरोधी पक्षकार व्दारा बेजा कब्जा किये जाने पर तहसीलदार अन्तरिम आदेश व्दारा विरोधी पक्षकार को बेदखल करने के आदेश दे सकता है। तहसीलदार ने न्यायहित में प्रश्नाधीन भूमि पर खड़ी फसल को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर ग्राम के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को सुपुर्दगी में देने के आदेश दिये हैं।

तहसीलदार व्दारा यह भी आदेश दिये गये हैं कि सुपुर्दगीकत्ता उक्त फसल की उपज न्यायालय के प्रकरण के निराकरण उपरान्त न्यायालय में प्रस्तुत करें। तहसीलदार का यह आदेश किसी भी एक पक्षकार के पक्ष में ना होकर मौके पर विवादस्प्रद स्थित उत्पन्न ना हों, इस दृष्टि से पारित किया गया है जिसमें निगरानी में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है। तहसीलदार, तहसील राजनगर का आदेश दिनाक 25–03–2013 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0